

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्ट्रेशन नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/49/2020	2020/00106	20/08/2020	14.11.2022

1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा स्टेशन रोड़ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)-301001

-प्रार्थी

### बनाम

1. श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री छाजूराम निवासी जे-61 अम्बेडकर नगर, अलवर, जिला अलवर राजस्थान।
2. श्रीमती चिड़िया देवी पत्नी श्री इन्द्रजीत, निवासी जे-61 अम्बेडकर नगर, अलवर, जिला अलवर राजस्थान।


-अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 16.03.2017 को 15,00,000/-रुपये (Rupees Fifteen Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 29.02.2020 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 14,55,490.67/- (Rupees Fourteen Lakh Fifty Five Thousand Four Hundred Ninety Rupees & Sixty Seven Paisa Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "रिहायशी सम्पत्ति प्लेट नं० एफ-01, प्रथम मंजिल फाईव स्टार वाटिका, हसन खान मेवाती नगर, जिला अलवर राजस्थान स्थित है (जिसका क्षेत्रफल लगभग 1050 वर्गफीट)" जो कि श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री छाजूराम के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं- पूर्व में भूतल पर प्लॉट, पश्चिम-यूनिट नं० एफ-02, उत्तर-80 फीट चौड़ी रोड़, दक्षिण-प्लॉट नं० डी 78 बी" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2020 नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त "रिहायशी सम्पत्ति प्लेट नं० एफ-01, प्रथम मंजिल फाईव स्टार वाटिका, हसन खान मेवाती नगर, जिला अलवर राजस्थान स्थित है (जिसका क्षेत्रफल लगभग 1050 वर्गफीट)" जो कि श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री छाजूराम के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं- पूर्व में भूतल पर प्लॉट, पश्चिम-यूनिट नं० एफ-02, उत्तर-80 फीट चौड़ी रोड़, दक्षिण-प्लॉट नं० डी 78 बी" को दिनांक 29.02.2020 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
अलवर (राज०)

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

- 1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में



(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर